>

Title: Need to ensure the cooperation of State Governments to the National Commissions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in connection with their visits to the States.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई और उसी अनुच्छेद में आयोग के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अधिकारों के हनन होने पर आयोग को हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी दी गई है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अलग से निर्णय लेने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को आयोग पर अत्यंत विश्वास और श्रद्धा है। आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर समीक्षा की जाती है तथा किसी गंभीर घटना होने पर मौके पर जांच भी की जाती है। इस दौरान ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि कुछ राज्य सरकारें आयोगों की जांच/समीक्षा में सहयोग नहीं करती हैं और न ही आयोग की टीम को बैठक हेतु स्थान व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। कुछ जगह तो राज्य सरकारों द्वारा आयोग को किसी प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं दिया जाता है, जो अत्यंत खेदजनक है। यदि राष्ट्रीय आयोगों की इस प्रकार उपेक्षा की जाती है तो अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में परेशानियां तो पैदा होगी ही, साथ ही भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रकरण में हस्तक्षेप करें ताकि संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए कठोर निर्देश देने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करें कि राज्यों में अनुसूचित जाति आयोग और कभी कभार अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ घट रही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।